आरक्षण अधिनियम

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

क्रमांक 264 भोपाल, बुधवार, दिनांक 8 जून 1994 ज्येष्ठ 18, शके 1916 में प्रकाशित

विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 8 जून 1994

क्रमांक 6469 इक्कीस-अ(प्रा.) मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 3 जून 1994 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हा चुकी है. एतद द्वारा सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
टी.पी.एस.पिल्लई, अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक 29 सन 1994
मध्यप्रदेश लोक सेवा
(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
और
अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण)
अधिनियम 1994
विषय सूची

भाषाएं :
1.संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
2.परिभाषएं

(दिनांक 3 जून 1994 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई : अनुमति मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण में दिनांक 8 जून1994 को प्रथम वार प्रकाशित की गयी)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों तथा नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गो के व्यक्तियों के लिए लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों के आरक्षण के लिए तथा उससे संसक्त या आनुषांगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम
भारत गणराज्य के पैंतालिस वें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों ओर अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 है.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे

परिभाषाऐं

2 इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) किसी स्थापन में किसी सेवा या पद के संबंध में नियुक्त प्राधिकारी से अभिप्रेत है ऐसी सेवा में या पद पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी.

(ख) स्थापन से अभिप्रेत है राज्य सरकार का या तत्समय प्रवृत्त राज्य के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिकरण या कानूनी प्राधिकरण का या किसी विश्वविघालय का या किसी ऐसी कम्पनी, निगम या किसी सहकारी सोसाइटी क, जिसमें समादत्त अंश पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा धारित है, कोई कार्यालय और उसके अंतर्गत ऐसा स्थापन आता है जिसमें कार्यभारित या आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है.

(ग) आरक्षण से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के

सदस्यों के लिए पदों का आरक्षण

(घ) अनुसूचित जाति से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है

(ड) अनुसूचित जनजाति से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है

(च) लोक सेवाएं तथा पद से अभिप्रेत है स्थापन के किसी कार्यालय में की सेवाएं तथा मद

(छ) अन्य पिछडे वर्ग से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ. 85-पच्चीस-क-84 तारीख 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछडे वर्ग

(ज) किसी रिक्ति के संबंध में भर्ती का वर्ष से अभिप्रेत है किसी वर्ष की पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि, जिसके भीतर ऐसी रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है.

अधिनियम का लागू होना.

3. यह अधिनियम इस अधिनियम में यथा परिभाषित स्थापना को लागू होगा किन्तु निम्नलिखित नियोजनों को लागू नहीं होगा :-

(1) भारत सरकार के अधीन कोई नियोजन,

(2) सरकारी सेवकों की मत्यु के कारण या सरकार के सामान्य आदेशों के अनुसार अन्यथा की जाने वाली अनुकम्पा नियुक्तियां,

(3) स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पद,

(4) आकस्मिक नियुक्तियां,

(5) मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा में की गई नियुक्तियां.

पदों के आरक्षण के लिये प्रतिशतता का नियत किया जाना.

4 (1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन जब तक कि अन्यथा उपबंधित न किया जाए, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछडे वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित पद ऐसे सदस्यों से नहीं भरे जाएंगे जो यह स्थिति, ऐसी जातियों या जनजातियों या वर्गों के नहीं हैं.

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, लोक सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर निम्नानुसार आरक्षण रखा जाएगा :-

(एक) राज्य स्तर पर किसी भर्ती के वर्ष में उदभूत होने वाली रिक्तियों के संबंध में निम्नलिखित प्रतिशत -

(क) प्रथम वर्ग तथा द्वितीय वर्ग के पदों में -

अनुसूचित जाति	15 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	15 प्रतिशत
अन्य पिछडे वर्ग	14 प्रतिशत

(ख) ततीय वर्ग तथा चतुर्थ वर्ग के पदों में -

अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	20 प्रतिशत
अन्य पिछडे वर्ग	14 प्रतिशत

(दो) संभाग या जिला स्तर पर किसी भर्ती के वर्ष में किसी स्थापन में ततीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग पदों के ऐसे प्रवर्गों में, उदभूत होने वाली रिक्तियों का प्रतिशत ऐसा होगा जो कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए.

(तीन) उपर (एक) और (दो) में यथापूर्वोक्त रिक्तियों पर नियुक्तियां ऐसे रोस्टर के अनुसार की जाएगी, जैसा कि विहित किया जाए :

परन्तु पूर्वोक्त आरक्षण अन्य पिछडे वर्गों के व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्गों को लागू नहीं होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संपन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के रूप में अधिसूचित किए जाएं.

(3) (क) यदि किसी भर्ती के वर्ष के संबंध में, उपधारा (2) के अधीन व्यक्तियों के किसी प्रवर्ग के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरी रह जाती है तो ऐसी रिक्ति आगामी या किसी पश्चावर्ती भर्ती के वर्ष में भरी जाने के लिए अग्रनीत की जाएगी.

(ख) जब कोई रिक्त पूर्वोक्त रीति में अग्रनीत की जाती है तो उसकी गणना उस भर्ती के वर्ष के लिए, जिसमें वह अग्रनीत की गई है, व्यक्तियों के संबंधित प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्तियों के कोटे पर नहीं की जाएगी :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी बिना भरी ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किसी भी समय विशेष भर्ती कर सकेगा और यदि ऐसी रिक्ति ऐसी विशेष भर्ती के पश्चात भी बिना भरी रह जाती है तो वह ऐसी रीति में भरी जाएंगी जैसी राज्य सरकार विहित करे.

(4) यदि उपधारा (2) में उल्लिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग से संबंधित कोई व्यक्ति सामान्य अभ्यर्थियों के साथ खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर चयनित हो जाता है तो उसे उपधारा (2) के अधीन ऐसे प्रवर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा.

(5) यदि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को, पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए

सरकार के आदेशों के अधीन आरक्षण लागू है तो ऐसे सरकारी आदेश तब तक लागू बने रहेंगे जब तक उन्हें उपांतरित या विखण्डित नहीं कर दिया जाता है.

अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व और शक्तियां.

5 (1) राज्य सरकार आदेश द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को, इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व सौंप सकेगी.

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या कर्मचारी में, इस रीति में, ऐसी शक्तियां या प्राधिकार विनिहित कर सकेगी जो उपधारा (1) के अधीन उसे सौंपे गये उत्तरदायित्व के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हों.

शास्ति

6. (1) कोई नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसा अधिकारी या कर्मचारी जिसे धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है. ऐसी रीति में जानबूझकर कार्य करता है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों का उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के लिए आशयित है, तो वह दोषसिद्वि पर कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्ड़नीय होगा.

(2) कोई भी न्यायालय, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा.

अभिलेख मंगाने की शक्ति.

7. यदि राज्य सरकार की जानकारी में यह बैंत आती है कि धारा 4 की उपधारा (2) में उल्लिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग का कोई व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों या इस निमित्त सरकारी आदेशों के अनुपालन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तो वह नियुक्ति प्राधिकारी के अभिलेखों को मंगा सकेगी और ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे.

चयन समिति में प्रतिनिधित्व

8. राज्य सरकार, आदेश द्वारा चयन/छानबीन या पदोन्नति समिति में चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जहां ऐसी समिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों के अधिकारियों, लोक सेवा या पद पर नियुक्ति या पदोन्नति के लिए व्यक्ति का चयन करने के प्रयोजन के लिए या तो सेवा नियमों के अधीन या अन्यथा गठित की जाती है, ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति में जैसा वह आवश्यक समझे, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के अधिकारियों का नामनिर्देशन करने के लिए उपबंध कर सकेगी.

रियायत और शिथिलीकरण

9 (1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) में उल्लिखित व्यक्तियों के प्रवर्गों के पक्ष में, किसी प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस के संबंध में ऐसी रियायतें मंजूर कर सकेगी और उच्चतर आयु सीमा को शिथिल कर सकेगी जैसी वह आवश्यक समझे.

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के प्रवर्गों के पक्ष में अन्य रियायतों और शिथिलीकरणों, जिसके अन्तर्गत किसी प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस में रियायत और उच्चत आयु सीमा में शिथिलीकरण भी सम्मिलित है और सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को प्रवृत्त सरकार के आदेश, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, लागू बने रहेंगे जब तक कि उन्हें यथा स्थिति, उपान्तरित या विखण्ड़ित नहीं कर दिया जाता है.

जाति प्रमाण पत्र

10 इस अधिनियम के अधीन दिए गए आरक्षण के प्रयोजनों के लिए जाति प्रमाण पत्र, ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबंध करे, जारी किया जाएगा और जब तक ऐसा उपबंध नहीं किया जाता है, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को प्रवृत्त आदेश लागू बने रहेंगे

कठिनाइयों का दूर किया जाना

11 यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भत होती है तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधें से असंगत न होने वाले ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो कठिनाइयां दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों.

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण

12 इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरूद्व कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी.

नियम बनाने की शक्ति

13 राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.

अनियमित नियुक्तियां शून्यकरणीय होंगी

14 इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात्, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में की गई समस्त नियुक्तियां शून्यकरणीय होंगी.

नियुक्तियों की अर्धवार्षिक रिपोर्ट

15. (1) राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग द्वारा और उसके अधीनस्थ प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी या स्थापन द्वारा की गई नियुक्तियों की एक्ष अधिवार्षिक रिपोर्ट उसके द्वारा राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जनवरी से जून तक की कालावधि के लिए अगस्त मास में और जुलाई से दिसम्बर तक की कालावधि के लिए फरवरी मास में प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जाएगी और उससे संबंधित सुसंगत अभिलेख ऐसी रीति में रखे जाएंगे जो विहित की जाए.

(2) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे अभिलेखों की परीक्षा कर सकेगा या नियुक्तियों से संबंधित अभिलेख और रोस्टर नियुक्ति प्राधिकारी से मंगा सकेगा.

(3) नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे अभिलेख या दस्तावेजों, जानकारी, सहायता और सेवाएं, जो उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित की जाए, जब भी उनकी मांग की जाती है, उपलब्ध कराए.

सम्पर्क अधिकारी

16. प्रत्येक स्थापन में इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए राज्य सरकार के समस्त विभाग, प्रथम वर्ग के अधिकारी से निम्न पद श्रेणी के किसी अधिकारी को नाम निर्देशित करेंगे और इस प्रकार नियुक्त संपर्क अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे.

स्थायी समिति का गठन

17. (1) एक स्थायी समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात. :-

(1) मंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण अथवा मंत्री, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मध्यप्रदेश - अध्यक्ष.

(2) मध्यप्रदेश विधानसभा के पांच सदस्य, जो अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाएंगे जिनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछडे वर्ग में से प्रत्येक का एक-एक सदस्य होगा - सदस्य.

(3) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का प्रभारी सचिव - सदस्य.

(4) मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का प्रभारी सचिव - सदस्य सचिव.

(2) स्थायी समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा ऐसी कालावधि के लिए किया जाएगा, जो विहित की जाए.

स्थायी समिति के कृत्य

18. स्थायी समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात. :-

(क) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन;

(ख) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उपायों का सुझाव देना;

(ग) ऐसे अन्य कृत्य, जो राज्य सरकार समय-समय पर समिति को सौंपे.

वार्षिक रिपोर्ट

19. राज्य सरकार इस अधिनियम के कार्यकरण पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे विधान सभा के समक्ष रखेगी.

आदेश आदि का रखा जाना

20. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाये गये समस्त नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे.

व्यावृत्ति

21. इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, उनके अल्पीकारक नहीं.

भोपाल, दिनांक 8 जून 1994

क्र. 6470-इक्कीस-अ(प्रा).-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड़ (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन. 1994) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव